सन्दर्भ सं. सीजीटीएमएसई /25 28 फरवरी 2025

क्रेडिट गारंटी योजना **– I (**बैंकों के लिए**)**
सभी पात्र बैंकों के लिए

परिपत्र संख्या 247/2024-25

महोदया / प्रिय महोदय

सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन - सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कृपया हमारे परिपत्र संख्या 165/2019-20, दिनांक 18 सितंबर, 2019 और परिपत्र संख्या 194/2021-22 दिनांक 03 फरवरी, 2022 का संदर्भ लें, जिसमें अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी), गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एनएसयूसीबी), राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पंजीकरण मानदंड में संशोधन और खुदरा व्यापार - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शामिल करने के संबंध में परिपत्र संख्या 185/2021-22 दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 का भी संदर्भ लें। अब अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों ,गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पात्रता मानदंड को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

क . एसयूसीबी के लिए पंजीकरण मानदंड:

- भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर (आज की तारीख में 12%)
- पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 के दौरान निवल लाभ
- 7% या उससे कम का सकल एनपीए
- आज की तारीख तक कोई प्रमुख विनियामक और पर्यवेक्षी कार्रवाई नहीं

ख. अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों , राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए पात्रता मानदंड

- भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर (आज की तारीख में 9%)
- पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 के दौरान निवल लाभ
- 7% या उससे कम का सकल एनपीए
- आज की तारीख तक कोई प्रमुख विनियामक और पर्यवेक्षी कार्रवाई नहीं

ग. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पंजीकरण मानदंड :

- भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर (आज की तारीख में 9%)
- अग्रिमों के 10% से कम निवल अनर्जक आस्तियां
- लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार या कोई प्रमुख विनियामक अथवा पर्यवेक्षी टिप्पणियाँ नहीं
- अंतिम पूर्ण वित्त वर्ष के दौरान निवल लाभ

यह ध्यान दिया जाए कि (बैंकों के लिए) ऋण गारंटी योजना-I की अन्य सभी शर्तें, समय-समय पर संशोधित अन्य परिचालन तौर-तरीकों आदि के संबंध में ऐसे गारंटी प्रस्तावों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

संशोधित दिशानिर्देश इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ ।

भवदीय

ह/-

(धीरज कुमार)

उप महाप्रबंधक